

राजस्थान सरकार  
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 6(05) कृषि-1/2013

जयपुर, दिनांक

7/3/2019


आदेश

“राजस्थान कृषि सेवा नियम-1960” के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर सहायक अभियंता, कृषि (अभि0) के पद से उप निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी) के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति चयन के उपरान्त श्री सुरेशचन्द्र बलाई को वरिष्ठता सह- योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री बलाई की वरिष्ठता का निर्धारण श्री भारमल खम्बू के नीचे एवं पूर्व में वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के अंतिम स्थान पर श्री हरिमोहन का चयन श्री बलाई की पदोन्नति होने के फलस्वरूप निरस्त किया जाता है।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं, किन्तु पदोन्नत अधिकारी के पदस्थापन आदेश जारी किए जाने के उपरान्त पदोन्नत अधिकारी को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही पदोन्नत का वास्तविक नकद लाभ देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की  
आज्ञा से

  
(डॉ०एस०पी० सिंह)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (मय कार्यवाही विवरण)।
5. संबंधित अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

P.T.O.




राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-प.1(1)(443) आ.कृ/गुप-7/546-551

दिनांक : 8/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू- संरक्षण, विभाग जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति नीम का थाना जिला- सीकर।
4. ए.सी.पी. मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. श्री सुरेश चन्द बलाई अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय- विकास अधिकारी पंचायत समिति नीम का थाना जिला- सीकर।
6. निजी/आरक्षी पत्रावली।

  
(जै सुपेन्द्रपाल सिंह)  
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)